



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 727 राँची, गुरुवार, 14 नवम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

26 सितम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-76/2019-27481 (HRMS)--उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1053/विधि, दिनांक 02.08.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि जी०आर० नं०-616, मनिका थाना कांड सं०-76/2010 में सुनवाई के पश्चात् माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 30.05.2024 को श्रीमती साधना जयपुरियार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका को 03 (तीन) वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000/- (पचास हजार रुपये) जुर्माना की सजा सुनाई गई है ।

2. अतः माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार द्वारा श्रीमती जयपुरियार को दण्डित किये जाने के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(ख) के तहत दिनांक 30.05.2024 से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में श्रीमती जयपुरियार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में इनको झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	SADHANA JAIPURIAR (20060400060)	श्रीमती साधना जयपुरियार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-26/20) को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(ख) के तहत दिनांक 30.05.2024 से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।	30/05/2024

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
